107 -

Government of Rajasthan
Transport Department

No.F.6 (261)Pari/tax/HQ/2004/21 Jaipur,Dated:-22.09.04

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by section 4B of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Rajasthan Act No. 11 of 1951) the State Government hereby, prescribes the rate of **Special road tax on stage carriages plying on rural routes of the State other than those owned by a fleet owner,** specified in Col No.2 of the table appended here to, at the rates specified against each in Col. No.3 thereof:-

TABLE

S. No.	Description of class of Motor Vehicle	Monthly Rate of S.R.T.
1.	2.	3.
1.	Stage carriage plying on rural routes .	
	(a) Distance required to be covered by the service in a day upto 200 Km.	0.20% of the cost of chassis.
	(b) Distance required to be covered by the service in a day exceeds 200 Km but does not exceed 400 Km.	0.25% of the cost of chassis.
	(c) Distance required to be covered by the service in a day exceeds 400Km.	0.30% of the cost of chassis.

Provided that:-

(i) If any stage carriage as mentioned above is found plying any trip other than trip / trips allowed to it under the Motor Vehicles Act, 1988 and rules made there under, then such stage carriages shall be liable to pay additional special road tax for the entire month at the rate specified against the category for which it is allowed for plying.

(ii) In case of vehicles obtaining the fresh permit, the tax shall be payable from the date of issue of permit on pro-rata basis in advance for the remaining period of the month and shall be deposited at the time of issue of permit .

Explanation:-

The cost of the vehicle/chassis for computation of tax shall be as explained under rule 42 of the Rajasthan Motor Vehicle Taxation Rules, 1951.

By order of the Governor

(G.L. Gupta)
Dy. Secretary to the Government

शासन उप सचिव (द्वि.)
परिवहन विभाग
राज. जयपुर

C:\My Documents\Notification 2004.doc

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः–एफ.6(261)परि/टैक्स/एच.क्यू/2004/21 जयपुर, दिनांकः–22.09.2004

अधिसूचना

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का राजस्थान अधिनियम सं. 11), की धारा 4–ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इसके साथ संलग्न सारणी के स्तम्भ सं. 2 में विनिर्दिष्ट, किसी फ्लीट स्वामी के स्वामित्वाधीन से भिन्न राज्य के ग्रामीण मार्गों पर चलने वाली मंजिली गाड़ियों पर विशेष सड़क कर की दर उसके स्तम्भ सं. 3 में प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ठ दरों पर इसके द्वारा विहित करती हैः–

सारणी

क्र. सं.	मोटर यानों के वर्ग का वर्णन	विशेष सड़क कर की मासिक दर
1	2	3
1	ग्रामीण मार्गों पर चलने वाली मंजिली गाड़ियां	
	(क) सेवा द्वार एक दिन में तय किये जाने के लिये अपेक्षित दूरी 200 कि.मी. तक हो।	चैसिंस की लागत का 0.20 प्रतिशत।
	(ख) सेवा द्वारा एक दिन में तय किये जाने के लिए अपेक्षित दूरी 200 कि.मी. से अधिक किन्तु 400 कि.मी. से अधिक न हो।	चैसिस की लागत का 0.25 प्रतिशत।
	(ग) सेवा द्वारा एक दिन में तय किये जाने के लिए अपेक्षित दूरी 400 कि.मी. से अधिक हो।	चैसिस की लागत का 0.30 प्रतिशत।

परन्तु, –

(i) यदि ऊपर वर्गित कोई भी मंजिली गाड़ी मोटर यान अधिनियम, 1988 और तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन उसे अनुज्ञात ट्रिप/ट्रिपों से भिन्न कोई भी ट्रिप करती हुई पायी जाये तो ऐसी मंजिली गाड़ी उस प्रवर्ग, जिसके लिए वह चलने के लिए अनुज्ञात की गयी है, के सामने विनिर्दिष्ट दर से सम्पूर्ण मास के लिए अतिरिक्त विशेष सड़क कर संदत्त करने की दायी होगी ।

(ii) नये परमिट अभिप्राप्त करने वाले यानों के मामले में कर, परमिट जारी किये जाने की तारीख से मास की शेष कालावधि के लिए आनुपातिक आधार पर अग्रिम रूप से संदेय होगा और परमिट जारी किये जाने के समय जमा कराया जायेगा।

स्पष्टीकरण :– कर की संगणना के लिये यान/चैसिस की लागत वह होगी जो राजस्थान मोटर यान कराधान नियम, 1951 के नियम 42 के अधीन बंतायी गयी है ।

राज्यपाल के आदेश से

शासन उप सचिव (तु.)
परिवहन विभाग
राज. जयपुर

एफ.6(261)परि/टैक्स/एच.क्यू/2004/21 जयपुर, दिनांकः 22.9.2004

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्राणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांकं 22.09.2004 मे प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित अंक की प्रति इस विभाग को भिजवाने हेतु।
2. सचिव,मुख्यमंत्री जी।
3. निजी सचिव, परिवहन मंत्री जी।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह एवं यातायात) ।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव वित्त ।
6. निजि सचिव, परिवहन आयुक्त ।
7. महालेखाकार, लेखा परीक्षा–II, राजस्थान सरकार।
8. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर ।
9. विधि एवं न्यायिक विभाग, जयपुर ।
10. समस्त मुख्यालय अधिकारी, परिवहन विभाग, जयपुर ।
11. समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी ।
12. समस्त प्रभारी कर संग्रह केन्द्र, राजस्थान ।

शासन उप सचिव (तु.)
परिवहन विभाग
राज. जयपुर

C:\My Documents\proposed notification 2004.doc